

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 06 सितम्बर, 2019

विषय:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार संशोधन अधिनियम को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना संख्या-271, दिनांक 18 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हत तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 जारी/निर्गत किया गया है।

2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति की संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 को संलग्न परिशिष्ट-'क' के अनुसार कतिपय संशोधनों के साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथावत (परिशिष्ट-'क')।

शुभदीय,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या-1424 (1)/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) एवं समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित विनियमों/नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन कराने का कष्ट करें।
9. समस्त प्रबन्धक, अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथावत (परिशिष्ट-'क')

आज्ञा से,
(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव